राजस्थान राज-पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | Published by Authority
सत्यमेव जयते
वैशाख 12, बुधवार, शाके 1934-मई 2, 2012
Vaisakha 12, Wednesday, Saka 1934-May 2, 2012

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 2, 2012

संख्या प. 2 (18) विधि/2/2012.-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित **अधिनियम,** जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रेल, 2012 **को प्राप्त हुई,** एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 12)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रेल, 2012 को प्राप्त हुई)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956, जयपुर विकास प्राधिकरण **अधिनियम, 1982, जोधपुर** विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, **राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,** 1959 और राजस्थान नगरपालिका **अधिनियम, 2009 को और संशोधित** करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-**मण्डल निम्नलिखित अधिनियम** बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां **(संशोधन)** अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-क का संशोधन.-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 90-क की विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"(6) जहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में चाही गयी हो, वहां अनुज्ञा केवल तब ही प्रदान की जायेगी जब वांछित गैर-कृषिक प्रयोजन उस क्षेत्र में लागू विधि के अनुसार अनुज्ञेय हो और उस क्षेत्र में प्रवृत्त मास्टर योजना या किसी अन्य विकास योजना या स्कीम, उसका जो कोई भी नाम हो, यदि कोई हो, के अनुरूप हो।

(7) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, जब किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के संबंध में इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश की तारीख को और से,-

(क) ऐसी भूमि पर, उस व्यक्ति के, जिसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है, अभिधृति अधिकार निर्वापित हो जायेंगे; और

(ख) वह भूमि धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार किसी भी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी को उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिसको इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है या

ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों या अन्तरितियों को आबंटन के लिए उपलब्ध होगी।

(8) इस अधिनियम और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि किसी नगरीय क्षेत्र में या किसी नगरीय क्षेत्र की नगरयोग्य सीमाओं या उपांत पट्टी में, कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने 17 जून, 1999 के पूर्व ऐसी भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या उसके भाग के तात्पर्यित गैर-कृषिक उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय के करार के रूप में और/या मुख्तारनामा और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी भी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से अलग हो गया है, वहां उक्त भूमि या जोत या, यथास्थिति, उसके भाग में के ऐसे व्यक्ति के अधिकार और हित पर्यवसित किये जाने के दायी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान का आदेश देगा और तदुपरान्त उक्त भूमि समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त रूप में, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार, किसी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा किये गये आबंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या उनको, या तो उस व्यक्ति द्वारा, जिसके अधिकार और हित इस उप-धारा के अधीन पर्यवसित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हों, या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रय या विक्रय के करार या मुख्तारनामे या वसीयत या भूमि के अंतरण के लिए तात्पर्यित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर, उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या

प्रीमियम या दोनों के स्थानीय प्राधिकारी को संदाय के अध्यधीन रहते हुए, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी:

परन्तु -

(i) इस उप-धारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी।

(ii) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाहियां या आदेश ऐसी भूमियों के संबंध में आरम्भ नहीं की जायेंगी या नहीं किये जायेंगे जिनके लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं.33), राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं.11) और राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं.11) के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं।

(9) इस धारा के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किये गये कलक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो यावत्साध्य, ऐसी अपील का, उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर निपटारा करेगा और यदि वह पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उस अपील का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। इस उप-धारा के अधीन पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "स्थानीय प्राधिकारी" से, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए गठित या पदाभिहित या उसके कार्य के लिए न्यस्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसमें राजस्थान नगर सुधार

अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका सम्मिलित है;

(ख) "नगरीय क्षेत्र" से, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित जयपुर क्षेत्र, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 2 क खण्ड (8) में यथा परिभाषित जोधपुर क्षेत्र, या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (xxxix) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिक क्षेत्र या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 3 के अधीन जारी किसी अधिसूचना में इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकारी गठित या पदाभिहित किया गया हो, के अन्तर्गत आने वाला कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "नगरयोग्य सीमाओं" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित नगरीय सीमाएं और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है, वहां उस नगरपालिक क्षेत्र की बाहरी सीमाएं अभिप्रेत हैं;

(घ) "उपांत पट्टी" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित उपांत पट्टी और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है या जहां ऐसी योजना में उपांत पट्टी उपदर्शित नहीं की गयी है, वहां ऐसा क्षेत्र, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है।"।

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-ख का हटाया जाना.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 90-ख हटायी जायेगी।

अध्याय 3

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

4. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 54-ख का संशोधन.-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं.25) की धारा 54-ख की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

अध्याय 4

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 49 का संशोधन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का

अधिनियम सं.2) की धारा 49 में विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

अध्याय 5

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

6. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 60 का संशोधन.-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 60 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन न्यास के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, उक्त न्यास द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का न्यास को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

अध्याय 6

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 71 का संशोधन.-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का

अधिनियम सं. 18), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 71 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, उक्त नगरपालिका द्वारा उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा में विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का नगरपालिका को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 337 का संशोधन.-मूल अधिनेयम की धारा 337 की उप-धारा (2) का विद्यमान खण्ड (xviii) हटाया जायेगा।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, May 2, 2012

No. F. 2 (18) Vidhi/2/2012.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan

Vidhiyan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 12):-

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) ACT, 2012

(Act No. 12 of 2012)

(Received the assent of the Governor on the 30th day of April, 2012)

An

Act

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-II

Amendments in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

2. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- After the existing sub-section (5) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new sub-sections shall be added, namely:-

"(6) Where permission under this section is sought with respect to a land situated in an urban area, the permission shall be granted only if the desired non-agricultural purpose is permissible in accordance with the law applicable in that area and is in consonance with the

master plan or any other development plan or scheme, by whatever name called, in force, if any, in that area.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, when an order granting permission under this section is passed with respect to a land situated in an urban area, on and from the date of such order,-

(a) tenancy rights over such land of the person to whom permission under this section is granted shall stand extinguished; and

(b) the land shall be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment to the person to whom permission is granted under this section, or to the successors, assignees or transferees of such person, by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4).

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) where before 17th June, 1999 any person, holding any land for agricultural purposes in an urban area or within the urbanisable limits or peripheral belt of an urban area, has used or has allowed to be used such land or part thereof for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof for consideration by way of sale or agreement to sell and/ or by executing power of attorney and/or Will or in any other

manner for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case may be, shall be liable to be terminated and the officer authorized by the State Government in this behalf, shall, after affording an opportunity of being heard to such person and recording reasons in writing for doing so, order for termination of his rights and interest in such land and thereupon the land shall vest in the State Government free from all encumbrances and be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment or regularization by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made, or Patta given, by a Housing Co-operative Society or on the basis of any document of sale or agreement to sell or power of attorney or a Will or any other document purporting transfer of land to them either by the person whose rights and interests have been ordered to be terminated under this sub-section or by any other person claiming through such person, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4):

Provided that-

(i) nothing in this sub-section shall apply to any land belonging to deity, Devasthan Department, any public trust or any religious or charitable institution or a wakf;

(ii) no proceedings or orders under this sub-section shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the

provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

(9) Any person aggrieved by an order of an officer or authority made under this section may appeal within thirty days from the date of such order to such officer not below the rank of Collector as may be authorized by the State Government in this behalf, who shall, as far as practicable, disposed of such appeal within a period of sixty days from the date of its presentation and if he is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reasons therefor. An order passed under this sub-section shall be final.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) "local authority", in relation to a local area, means an authority constituted or designated for, or entrusted with the function of, planned development of that area and includes an Urban Improvement Trust constituted under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);

(b) "urban area" means an area falling within Jaipur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), Jodhpur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a municipal area as defined in clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or an area specified as such in a notification issued under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) or an area for which a local authority is constituted or designated under any law for the time being in force;

(c) "urbanisable limits" means the urbanisable limits indicated in the master plan or master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan, the outer limits of the municipal area;

(d) "peripheral belt" means the peripheral belt indicated in the master plan or master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan or where peripheral belt is not indicated in such plan, the area as may be notified by the State Government from time to time.".

3. Deletion of section 90-B, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- The existing section 90-B of the principal Act shall be deleted.

CHAPTER-III

Amendment in the Jaipur Development Authority Act, 1982

4. Amendment of section 54-B, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- For the existing sub-section (1) of section 54-B of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Authority to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Authority of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

CHAPTER-IV

Amendment in the Jodhpur Development Authority Act, 2009

5. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- For the existing sub-section (1) of section 49 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Authority to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Authority of the urban

assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

CHAPTER-V

Amendment in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959

6. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-For the existing sub-section (4) of section 60 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the following shall be substituted, namely:-

"(4) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Trust under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Trust to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Trust of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

CHAPTER-VI

Amendments in the Rajasthan Municipalities Act, 2009

7. Amendment of section 71, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-section (1) of section 71 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Municipality under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Municipality to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Municipality of the

urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

8. Amendment of section 337, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- The existing clause (xviii) of sub-section (2) of section 337 of the principal Act shall be deleted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

16

Government Central Press, Jaipur.